सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या— 524
14/07/2017

पी0आई0ओ0—सह—कार्यपालक पदाधिकारी मोतिहारी को लगा आर्थिक दण्ड

पटना—14 जुलाई, 2017 :— राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने वाद सं0—98675/13—14 मामले में लोक सूचना पदाधिकारी—सह— कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री कैलाश गुप्ता को ससमय सूचना नहीं देने, आयोग द्वारा जारी सूचना पर आयोग में उपस्थित नहीं होने तथा आयोग द्वारा दिए गए आदेश का उलंघन करने के एवज में अधिनियम की धारा—20 (1) के तहत लोक सूचना पदाधिकारी—सह— कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को अधिकतम 25000/— (पचीस हजार) रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही दण्ड की राशि की कटौती हेतु फैसले की प्रतिलिपि जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को इस आशय के साथ भेजी गई है कि वे दण्ड की राशि की कटौती कर इससे आयोग को भी अवगत करायेंगे। इस आशय का निदेश सचिव, राज्य सूचना आयोग को भी दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 23 अगस्त, 2017 को ढाई बजे आयोग कार्यालय में होगी।

******